

(भारत के राजपत्र के भाग-1, खण्ड II में प्रकाशनार्थ)

सं. 13017/33/2018-अ.भा.से.-1

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 17 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा गुजरात और पंजाब राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार, एतद्वारा सुश्री दीपशिखा शर्मा, आई.ए.एस. (गुजरात:2015) का श्री अंकुर गुप्ता, आई.पी.एस. (पंजाब:2016) से विवाह होने के आधार पर उनका स्थानांतरण गुजरात संवर्ग से पंजाब संवर्ग में करती है।



(उदय भान सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 011-23094142

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, दिल्ली।